(03) <u>06–06–2023</u>

पत्रावली पेश हुई। थाना बनबसा से एस0आई0 श्री कैलाश चन्द्र जोशी संबंधित मुकदमे के माल के लिफाफे सील बंद अवस्था में लेकर न्यायालय में उपस्थित हुए। मामले से संबंधित 02 पीले लिफाफे सील बंद अवस्था में न्यायालय के समक्ष पेश किये गये, जिन्हें न्यायालय द्वारा अवलोकित कर खोला गया। पहले पीले लिफाफे को खोलने पर उसके अंदर से खाकी रंग के 02 लिफाफे सील बंद निकले। उक्त लिफाफों को खोलने पर उनके अंदर के सफेद कपड़ों से 100–100 के 87 नकली नोट, जिन्हें एस0आई0 कैलाश चन्द्र जोशी द्वारा नकली करेंसी होना बताया गया, निकले। उपरोक्त के अतिरिक्त, इन लिफाफों में से नमूना मुहर और दो ब्राउन कलर के लिफाफों से सील अवस्था में वस्तु पर्ची 1 व 2 निकली तथा लिफाफे पर अभियुक्त ओम प्रकाश से संबंधित विवरण लिखा हुआ है।

2. दूसरे लिफाफे से ब्राउन कलर का सील बंद लिफाफा निकला, उसे खोलने पर उसके अंदर से सफेद खुला हुआ कपड़ा निकला। उसके कपड़े के अंदर से 100–100 के 06 नोट निकले, जिन्हें एस0आई0 कैलाश चन्द्र जोशी द्वारा नकली करेंसी होना बताया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त, इनमें से एक नमूना मुहर, न्यायालय की लाख की सील के खुले 03 लिफाफे निकले। इन वाले लिफाफों में अभियुक्त अमरजीत का विवरण लिखा है।

3. चूँकि वाद का निस्तारण दिनांक 08–02–2012 को सत्र न्यायालय चम्पावत से हो चुका था और उसके विरुद्ध दायर अपील दिनांक 16–04–2013 को माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड से निर्णीत हो चुकी है, अतः इस माल मुकदमाती का निस्तारण करने के लिए थाने से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र '3ख' स्वीकार किये जाने योग्य है। तद्नुसार, प्रार्थनापत्र '3ख' स्वीकार किया जाता है एवं संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि दोनों लिफाफों में से निकली करेंसी को जलाकर उसका विनिष्टीकरण करना सुनिश्चित करें व विनिष्टीकरण की कार्यवाही की वीडियोग्राफी करवाकर

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चम्पावत।
प्रकीर्ण फौजदारी वाद सं0—66 / 2022

सरकार
बनाम
ओम प्रकाश आदि
———

उसे एक सी0डी0 में सुरक्षित करें व उसकी रिकॉर्डिंग को न्यायालय प्रेषित करें। रिकॉर्डिंग करते समय कोई एक पुलिस कर्मी विनिष्टीकरण के दिनांक का अखबार का प्रथम पृष्ठ लेकर साथ में खड़ा रहेगा। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(कहकशा खान)
सत्र न्यायाधीश, चम्पावत।